न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 32/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 मूसदा जिला–अजमेर

------वादी

ब ना म

1– श्री नीरा पुत्र रहमान
2– श्री रोशन पुत्र रहमान
3– श्री नूरा पुत्र रहमान
4– श्री मौहम्मद पुत्र रहमान
समस्त जाति सैयद निवासी सुरजपुरा तहसील मसूदा

---प्रतिवादीगण्रा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.12.2017

तहसीलदार मसूदा ने सारांशतः अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा सुरजपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर में स्थित भूमि खसरा नंबर 6788/1 रकबा 11–02–00 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध उपरोक्त खसराजत की समस्त कृषि दर अप्रार्थी संख्या 1 ने अवेध खनन कर रखी है, जबकि प्रार्थी तहसीलदार मसूदा भूमि धारक होने से उक्त कृषि भूमि का स्वामी है तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थी को कोई अधिकार कृषि भूमि की किस्म बदलने का नही होने के बावजूद भूमि को बकृषि में तब्दील कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अवेध खनन पाये गये है, जो अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कार्य किया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2017 को कहलवाने की वो वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी खारीज करवाने व आबाद व्यक्तियो द्वारा भूमि रिक्त किये जाने का कहा व कहलवाया तो वो ऐसा करने से साफ इंकार हो गये इसलिये वाद कीआवश्यकता हुई है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे भूमि सिवायचक घोषित किया जावे। व नही कृषि कार्य के अलावा अन्य प्रकृति का कार्य करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2017 में खसरा संख्या 6788/1 में अवैध खनन करने से बना हुआ खनन पिट पाया गया। राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 6788/1 नीरा रोशन नूरा मौहम्मद पि. रहमान हि. 4/7 जाति सैयद नि. सूरजपुरा रेहान हुसैन वल्द आबुतुराब हुसैन हि. 3/7 कौम सैयद नि. तारागढ़ अजमेर के नाम खातेदारी भूमि में दर्ज है तथा अवैध खनन किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम सूरजपुरा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 101 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6788/1 रकबा 11–02–00 किस्म बारानी–3 में नीरा रोशन नूरा मौहम्मद पि. रहमान हि. 4/7 जाति सैयद नि. सूरजपुरा रेहान हुसैन वल्द आबुतुराब हुसैन हि. 3/7 कौम सैयद नि. तारागढ़ अजमेर के नाम खातेदारी भूमि में दर्ज है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं नंबर ग्राम सूरजपुरा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम के खसरा संख्या 6788/1 रकबा 11–02–00 किस्म बारानी–3 में उक्त कृषि भूमियों का बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने

का उक्त कृत्य राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने एवं भूमि अवैध खनन करवाया जाकर भारी मुनाफा कमाने का जरिया एवं खनन माफियाओं को बढावा देने की नियत से यह कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। तथा साथ ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमियों को सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मसूदा को ग्राम सूरजपुरा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम के खसरा संख्या 6788/1 रकबा 11—02—00 किस्म बारानी—3 को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित करते हुए कब्जा सरकार के तहवील में लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 17:04:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: